UPMZ010079352026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 3292/2026

1. सतेन्द्र कुमार पुत्र निरंजन, निवासी ग्राम मथेड़ी, थाना रतनपुरी, जिला मुजफ्फरनगर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मु0 अ 0 सं0–70/2016

धारा– 147, 148, 149, 307, 302, 201 भा0 द 0 सं0

थाना–चरथावल, जिला–मुजफ्फरनगर

दिनांक–19.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त मौहसीन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 226/2019, अन्तर्गत धारा 307 भा0 द 0 सं0, थाना चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर में **गैर–जमानत अधिपत्र पर पुनः जमानत हेतु जमानत** प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता को गैर–जमानत अधिपत्र पर **पुनः जमानत हेतु प्रार्थनापत्र** पर सविस्तार सुना तथा समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार ने शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए और विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिकथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है उसने किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी भी पुलिसकर्मी पर कोई फायर नहीं किया है, और न ही किसी पुलिसकर्मी को किसी प्रकार की कोई चोट आई है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी बरामदगी नहीं हुई है, दिखाई गई कथित बरामदगी झूठी व फर्जी है। अभियुक्त अन्य वाद में दिनांक 21.06.2020 से जिला कारागार में निरूद्ध था, जिस कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। प्रार्थी/अभियुक्त ने जानबूझकर कोई गलती हाजिर अदालत आने में नहीं की है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व सजायाफता नहीं है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त जमानत प्रार्थनापत्र के विरोध में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा आपत्ति करते हुए कहा गया कि अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरूपयोग किया गया है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाए।

पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय उपस्थित न होने के कारण गैर–जमानती अधिपत्र जारी किये थे। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक **21.06.2020** से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त भविष्य में जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। चूंकि अभियुक्त प्रस्तुत मामले में पूर्व से जमानत पर था, ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त को पुनः दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त मौहसीन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 226/2019, अन्तर्गत धारा 307 भा0द0सं0, थाना चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर में प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि नियत तिथियों पर न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर रहेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा अन्यथा उसके विरूद्ध पुनः गैर जमानती अधिपत्र जारी कर दिये जायेंगे।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/– **(पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो नवीन प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

प्रभारी/ अपर जनपद व सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–06, मुजफ्फरनगर।